16
247

५

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

—:: अधिसूचना ::—

दिनांक 08 / 11 / 2007

संख्या : 31 /एम०, राँची, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या– 67 / 1957) की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :

1. (क) यह नियमावली "झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2007" कहलायेगी।
   (ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. नियम 2 में संशोधन :
   (क) नियम 2 (क) (4) को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
   "समाहर्त्ता का अर्थ है जिले का उपायुक्त।"
   (ख) नियम 2 (क) (5) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा :
   "2 (क) (5) "सक्षम पदाधिकारी" का अर्थ है किसी जिले के उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित पदाधिकारी अथवा उक्त जिले के जिला / सहायक खनन पदाधिकारी।"
   (ग) नियम 2 (क) (6) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा :
   "आयुक्त का अर्थ है खान आयुक्त या इस नियमावली के अधीन दायित्वों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी,
   (घ) नियम 2 (क) (4) के बाद निम्नांकित परिभाषाएँ अन्तः स्थापित की जाएगी :
   (अ) "अनुमंडल पदाधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी,

15
246

(आ) "अंचल अधिकारी" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अंचल अधिकारी;

(ङ.) नियम 2 (क) (7), जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त को परिभाषित किया गया है, को विलोपित किया जायेगा।

3. नियम 12 का संशोधन :

(क) नियम 12 (1) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"ग्रामीण क्षेत्रों में बालू घाटों की बंदोबस्ती सरकारी नीलामी द्वारा नहीं की जाएगी।"

(ख) नियम 12 (2) के बाद निम्नांकित उपबंध अर्न्तस्थापित किये जायेंगे :
"(12) (3) शहरी क्षेत्रों में अवस्थित बालू घाटों की बन्दोबस्ती नगर निगम / नगरपालिका / अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष आम नीलामी के माध्यम से उच्चतम डाक–वक्ता के साथ की जायेगी, जिस क्रम में निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :

(क) आम नीलामी द्वारा की गई बंदोबस्ती के मामले में सामान्यतः इस नियमावली के प्रपत्र "सी" अथवा मामला विशेष की आवश्यकतानुसार उससे मिलते–जुलते प्रपत्र में बंदोबस्ती आदेश के 60 दिनों के भीतर विलेख निष्पादित किया जाएगा।

यदि बंदोबस्तीधारी के दोष के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो बंदोबस्ती आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा और प्रतिभूति राशि तथा अन्य भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

(ख) प्रत्येक ऐसी बंदोबस्ती मात्र उसी वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी जिसके लिए यह की गई है, चाहे बंदोबस्तीधारी किसी भी तिथि को उसे दखल–कब्जे में ले। किसी भी परिस्थिति में की गई ऐसी बंदोबस्ती अथवा दखल–कब्जा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रभावी नहीं होगा।

14
245

(ग) बंदोबस्ती किए जाने के सात दिनों के भीतर बंदोबस्ती राशि का 100% भुगतान किये जाने के पश्चात, बंदोबस्तीधारी को ऐसे बालू क्षेत्र का दखल–कब्जा संबंधित निकाय द्वारा दिया जा सकेगा।

(12) (4) बालू खनिज से प्राप्त राजस्व नगर निगम/ नगरपालिका/ अधिसूचित क्षेत्र समिति अपने कोष में जमा करेगी तथा उस राशि को सड़क–नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था पर व्यय करेगी।"

4. नियम 23 में संशोधन :

नियम 23 के शीर्ष एवं 23 (2) (घ) में नीवकरण शब्द के स्थान पर नवीकरण शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. नियम 29 में संशोधन :

नियम 29 के बाद नियम 29 (अ) निम्न प्रकार अर्न्तस्थापित किया जायेगा :

"29 (अ) लगान एवं स्वामिस्व के भुगतान का तरीका :

(1) पट्टा निष्पादन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार को भूतल लगान का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक आगामी वित्तीय वर्ष के भूतल लगान का भुगतान किया जाएगा।

(2) पट्टा निष्पादन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उक्त वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार को नियत लगान का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक आगामी वित्तीय वर्ष के नियत लगान का भुगतान किया जाएगा।

पट्टेधारी द्वारा भुगतेय स्वामिस्व का लेखा संधारण सक्षम पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा तथा जैसे ही खनिज पर देय स्वामिस्व की राशि नियत लगान के समतुल्य या उससे अधिक हो जाती है तो पट्टेधारी देय खनिज स्वामिस्व के अग्रिम भुगतान के पश्चात् ही खनिज को खनन स्थल से हटा सकेगा अथवा उसका उपयोग कर सकेगा।

पट्टेधारी द्वारा भुगतान की गयी नियत लगान की अग्रिम राशि उनके द्वारा देय स्वामिस्व की राशि में सामंजित कर ली जाएगी।

किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज हटाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब उस खनन पट्टे के संदर्भ में समस्त सरकारी खनन बकाये का भुगतान कर दिया गया हो।"

6. नियम 54 में संशोधन :

नियम 54 (1) से 54 (8) निम्नांकित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"54. लघु खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन तथा परिवहन के लिए दंड :

(1) कोई भी व्यक्ति, जो इन नियमों के विरूद्ध लघु खनिजों का उत्खनन करता है अथवा उसकी ओर से यदि किसी एजेण्ट, मैनेजर, कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा ऐसा उत्खनन अथवा परिवहन किया जाता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अवैध खनन में भागीदार समझा जाएगा तथा ऐसे दोषी व्यक्तियों को अधिकतम तीन माह की कैद अथवा अधिकतम 5000/– (पाँच हजार) रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकेंगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिज का उत्खनन करता है तो सक्षम पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी अथवा समाहर्त्ता अथवा आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी ऐसे अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजार, संयत्र एवं वाहन के साथ लघु खनिजों को जब्त कर सकते हैं।

(3) सक्षम पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी के द्वारा बिना किसी दंडाधिकारी के आदेश अथवा बिना किसी गिरफ्तारी वारण्ट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हुए लघु खनिजों का उत्खनन अथवा परिवहन करते हुए पाया जाता है।

(4) सक्षम पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी उप नियम (2) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के संबंध में एक लिखित शिकायत–पत्र के साथ संबंधित थाने

के अधिकारी को सौंपेगा जो उस मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

(5) यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज का परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी अथवा समाहर्त्ता अथवा आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को फार्म "डी" में पारगमन चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण कराने से इन्कार करता है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को अधिकतम तीन माह की कैद अथवा अधिकतम 5000/– (पाँच हजार) रूपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

(6) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास वैध खनन पट्टा नहीं है, यदि लघु खनिजों का उत्खनन करता है अथवा इन नियमों के विपरीत उसकी ओर से कोई ऐजेण्ट, मैनेजर या ठेकेदार के द्वारा ऐसा उत्खनन किया जाता है तो वह लघु खनिजों के अवैध उत्खनन का आरोपी होगा तथा उससे खनिजों का मूल्य वसूलनीय होगा।

साथ ही, सरकार ऐसे व्यक्ति से, जैसा कि मामला बनता हो, भूमि पर बिना वैध प्राधिकारी की अनुमति से किये गये कब्जे की अवधि का लगान, स्वामित्व या कर की वसूली एवं किसी अन्य कानून या नियम, जो उस वक्त लागू हो, के आलोक में उसके विरूद्ध पूर्वाग्रह के बिना कार्रवाई कर सकेगी।"

7. नियम 57 में संशोधन :

नियम 57 संशोधित होकर निम्न प्रकार पठित होगा :

"57. लिखित शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान :

इन नियमों के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी, उप निदेशक, खान, अपर निदेशक, खान, निदेशक, खान अथवा समाहर्त्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत या प्राथमिकी दर्ज कराने की स्थिति में कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेंगे।"

8. नियम 59, 64 एवं 65 में संशोधन :
इन नियमों में उल्लेखित लेखा शीर्ष को निम्नांकित लेखा शीर्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"0853 अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग ;

102 – खनिजों संबंधी रियायती फीस, किराये और रॉयल्टी"।

9. खनन पट्टा संविदा, मॉडल प्रपत्र 'इ' के भाग VII कंडिका 13 में संशोधन :
'1000 रू०' शुल्क के स्थान पर '10,000 रू०' शुल्क प्रतिस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(जय शंकर तिवारी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 1470 /एम० दिनांक 08 / 11 / 2007
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असधारण अंक में प्रकाशन हेतु इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है कि मुद्रित अधिसूचना की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायें।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 1470 /एम० दिनांक 08 / 11 / 2007
प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष / सभी उपायुक्त / सभी उप निदेशक, खान / सभी जिला / सहायक खनन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।